क्रम संख्या

47903

राँची विश्वविद्यालय, राँची

मास्टर ऑफ आर्टस भाग ½

मूल्य 10/- रुपये

एम0 ए0 भाग ½

वर्ष ....

कॉलेजिएट नन–कॉलेजिएट	छात्र छात्रा
अनपेक्षित अंश काट दें	

परीक्षा संचालक के पास निर्धारित तिथि तक यह आवेदन–पत्र अवश्य ही पहुँच जाना चाहिए अन्यथा परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी नहीं होंगे।

सेवा में,

परीक्षा संचालक, राँची विश्वविद्यालय, राँची

महाशय,

राँची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सन् .... की मास्टर ऑफ आर्टस की परीक्षा में बैठने की अनुमति का प्रार्थी हूँ। परीक्षा शुल्क के एक सौ रुपए और अंक–पत्र के लिए पन्द्रह रुपये तथा लोकल लेवी के पचास रुपये भेज रहा हूँ।

बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद ही परीक्षा शुल्क जमा करें।

पत्राचार का पता ....

....

....

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

(प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के सामने हस्ताक्षर करें।)

परीक्षार्थी निम्नलिखित विवरण दें :–

जिस नाम से पंजीकृत हुए हैं ठीक वही नाम लिखे एवं महिलाएँ अपने नाम के पहले कोष्ठक में कुमारी अथवा श्रीमती जो भी हो अवश्य लिखें।

1. परीक्षा के विषय ....
2. पंजीयन संख्या .... वर्ष .... राँची विश्वविद्यालय
3. नाम (देवनागरी अक्षरों में) ....
   (छापे के रोमन अक्षरों में) ....
   ....
4. जन्म तिथि ....
5. पिता का नाम ....
   अभिभावक का नाम और पता ....
6. विभाग का नाम .... क्रम संख्या .... लेक्चर एवं प्रयोग पूरे होने का वर्ष ....
7. बी0 ए0 परीक्षा में पास करने संबंधी विवरण उत्तीर्ण होने का वर्ष ....

संस्था या विश्वविद्यालय	वर्ष	कॉलेज	रौल	क्रमांक	परीक्षा के विषय एवं प्राप्तांक

8. उन क्वालिफाइंग परीक्षा का विवरण जिसमें आप कभी उत्तीर्ण हुए हों केन्द्र ....
   संस्था .... वर्ष .... वार्षिक / पूरक परीक्षा
9. उन एम0 ए0 परीक्षा का विवरण जिसमें आप कभी अनुत्तीर्ण हुए हों
   कॉलेज .... नामांकन .... वर्ष .... विषय ....
10. अन्य विषय या इसी विषय के अन्य ग्रुप को लेकर एम0 ए0 परीक्षा पास करने संबंधी विवरण
    संस्था या विश्वविद्यालय वर्ष केन्द्र नामांक विषय तथा ऐच्छिक पत्र
11. आजीविका ....
12. उन पत्र की संख्या और तारीख जिसके द्वारा आपको एम0 ए0 परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है। पत्र की संख्या .... तिथि ....
13. इस सत्र में क्या आप किसी कॉलेज के नियमित छात्र रहे थे, हाँ / नहीं, संस्था का नाम ....

केवल प्राइवेट परीक्षार्थीयों के लिए

यदि अनुसूचित जाति या जनजाति अथवा अत्यन्त पिछड़ी जाति के हों तो अपनी जाति का खास नाम लिखें और दो फार्म भरें। अनपेक्षित अंश काट दें।

अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ी वर्ग 1 जाति का खास नाम ....

नोट – यह पाठ्य–क्रम 1989 परीक्षा से प्रभावी है।

प्रेषक अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

संख्या 50,000 / 2003

फोटो (Photo)

हर एक परीक्षार्थी को हाल ही में ली हुई अपनी फोटो की पासपोर्ट साइज की दो प्रतियाँ देनी होगी। उनके ऊपर परीक्षार्थी का नाम लिखा होना चाहिए और उसे प्रेषक अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय की मुहर के साथ प्रमाणित होना चाहिये। एक फोटो प्रवेश–पत्र पर और दूसरी इसी चौकोर स्थान में चिपकायी जानी चाहिए।

प्रेषक अधिकारियों से अनुरोध

(1) यह अनुरोध किया जाता है कि प्रेषक अधिकारी इस बात को सावधानी के साथ देख लें कि परीक्षार्थी ने अपना नाम इस आवेदन पत्र में ठीक उसी तरह से लिखा है जैस उसके मैट्रीकुलेशन या माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण–पत्र (Certificate) और विश्वविद्यालय की पंजीयन (Registration) रसीद में अंकित है।

(2) वे कृपया यह भी देख लें की परीक्षार्थी ने अपनी पंजीयन संख्या और अनुमति–पत्र संख्या (जहाँ आवश्यक हो) ठीक–ठीक लिखा है।

प्रमाण –पत्र (Certificate)

(परिनियमों [Regulation] 21 अध्याय 3 अनुसार विद्वत परिषद द्वारा 25 नवम्बर 1955 की स्वीकृति)

कॉलेज के नियमित (कॉलेजिएट) छात्रों के लिए।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे सामने ..... विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र उपस्थित करके मुझे परितुष्ट कर दिया है कि ये ..... विश्वविद्यालय की बी0 ए0 प्रतिष्ठा भाग 1/2 की परीक्षा पास की या विद्वत परिषद द्वारा उसकी समकक्ष ..... परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं, तथा उन्होंने एक या अधिक सम्बद्ध कॉलेजों में नियमित रूप से अध्ययन कर बी0 ए0 प्रतिष्ठा 1/2 की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और जहाँ प्रायोगिक (प्रैक्टीकल) परीक्षा का विधान है वहाँ अपने सारे अध्ययन काल में निर्धारित प्रयोगों को भी सुयोग्य निर्देशन में समुचित रूप से सम्पन्न किया है। इनका आचरण अच्छा रहा है। इन्होंने नियमित रूप से अध्यवसाय पूर्वक अध्ययन किया है तथा वे परिनियमों (रेगुलेशनों) में निर्दिष्ट कॉलेज को आवधिक (पीरियोडिकल) तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं और उसमें उत्तीर्ण हुए हैं तथा इस आवेदन पत्र में इन्होंने जिन विषयों का उल्लेख किया है उन्हें लेकर ये इस परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी हैं, तथा इन्होंने जिन विषयो में व्याख्यानें, अभ्यास तथा प्रयोग कक्षाओं (ट्यूटोरियलों और प्रैक्टीकल क्लासों) की निर्धारित उपस्थिति संख्या पूरी कर ली है, तथा इन्होंने इस आवेदन–पत्र पर मेरे सामने अथवा मेरे द्वारा इसके लिए अधिकृत व्यक्ति के सामने अपना हस्ताक्षर किया है तथा मैं इनके नैतिक चरित्र के विरूद्ध कुछ भी नहीं जानता और मुझे विश्वास है कि इन्होंने इस आवेदन–पत्र में जो विवरण दिये हैं वे ठीक हैं।

तिथि .....

विभागाध्यक्ष

स्वतंत्र (प्राइवेट) परीक्षार्थियों के लिए।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे सामने ..... विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र उपस्थित कर मुझे परितुष्ट कर दिया है कि ये ..... विश्वविद्यालय की एम0 ए0 की परीक्षा या विद्वत परिषद् द्वारा मान्य इसकी समकक्ष ..... परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं एवं इन्हें राँची विश्वविद्यालय के कार्यालय से एम0 ए0 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिली है तथा इन्होंने कॉलेज छोड़ने के प्रमाण–पत्र की मूल प्रति अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि दिखाकर मुझे परितुष्ट कर दिया है कि ये उपयुक्त परीक्षा के सत्र (एकेडेमिक सेशन) में अभिर्किती की है। मैं इनके नैतिक चरित्र के विरूद्ध कुछ नहीं जानता। इन्होंने इस आवेदन–पत्र पर मेरे सामने अथवा मेरे साथ नियुक्त व्यक्ति के सामने हस्ताक्षर किया है और मेरा विश्वास है कि इसका आचरण अच्छा रहा है और इन्होंने अध्यवसायपुर्वक और नियमित रूप से अध्ययन किया है तथा इस आवेदन–पत्र में जो विवरण दिये हैं वे ठीक हैं।

विश्वविद्यालय के अनुमति–पत्र की संख्या ..... तिथि .....

..... प्राचार्य

तिथि .....

..... कॉलेज

नोट :– स्वतंत्र परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों में दिये विवरण की जाँच प्रेषक अधिकारी कृपया स्वयं करें।
सभी परीक्षार्थियों का आवेदन–पत्र किसी संबद्ध कॉलेज के प्राचार्य द्वारा प्रेषित होना चाहिए।

परीक्षार्थियों के लिए नियम

1. परीक्षाएँ निश्चित तिथियों को निर्धारित कार्य–क्रम के अनुसार होगी। जिसकी जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त करें।
2. ऐसे परीक्षार्थी को जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसके कारण उसकी उपस्थिति अन्य परीक्षार्थियों के लिए हानिकारक हो सकती हो, परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा यदि वहाँ पाया जायेगा तो उसे हटा दिया जायेगा। परन्तु यदि संभव हो तो केन्द्र व्यवस्थापक एक अलग कमरे में उसकी परीक्षा लेने का प्रबंध कर सकते हैं।
3. परीक्षा–कक्षों के द्वार परीक्षा के पहले दिन प्रथम पत्र की परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटा पहले खोल दिये जायेंगे। उसके बाद प्रति पत्र की परीक्षा आरम्भ होने के 15 मिनट पहले खोले जायेंगे और परीक्षा आरम्भ के 5 मिनट पहले बन्द कर दिये जायेंगे नियत समय से अधिकाधिक आधे घंटे तक विलम्ब से आने पर भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।
4. परीक्षा के समाप्त हो जाते ही, अथवा लिखना समाप्त करने पर परीक्षार्थी को अपनी उत्तर–पुस्तिका कक्ष में प्रधान निरीक्षक को दे देनी होगी। किसी भी दशा में उत्तर–पुस्तिका डेस्क पर न छोड़ी जाय और न उसे परीक्षा भवन से बाहर निकाला जाय।
5. जो उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को एक बार सौंपी जा चुकी हो, वह किसी भी हालत में परीक्षार्थी को लौटायी नहीं जायेगी।
6. प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए निर्दिष्ट सीट का प्रबंध रहेगा, जिस पर उसके प्रवेश पत्र में अंकित संख्या लिखी रहेगी। परीक्षार्थी अपने निर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे। केन्द्र व्यवस्थापक की अनुमति के बिना सीट बदलना मना है। व्यवस्थापक यदि सीट के परिवर्तन की अनुमति दें तो उसी समय इसे लिखकर दें और सारी परीक्षा समाप्त हो जाने पर इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दें।
7. जो परीक्षार्थी परीक्षा में दूसरे की सहायता करता या किसी प्रकार से अवैध सहायता लेने की चेष्टा करता हुआ अथवा परीक्षा में अनुचित लाभ के लिए कोई दूसरा अवैध उपाय करता पाया जायेगा, उसे परीक्षा से निकाल दिया जायेगा। परीक्षा में परीक्षार्थियों को परस्पर किसी प्रकार से विचार विनिमय का अधिकार न होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त–पत्र, उत्तर–पुस्तिका, प्रश्न–पत्र और सोख्ता तथा तेइसवें नियम में निर्दिष्ट उपकरण के सिवा परीक्षार्थी को अपने पास परीक्षा में छाता, पुस्तक किसी प्रकार का स्मृति–पत्र, पॉकेट–बुक आदि या कोई फाजिल कागज–पत्र रखना वर्जित है, भले ही इनका सम्बन्ध उस समय की परीक्षा के विषय से हो या नहीं। इसका उल्लंघन करनेवाले परीक्षार्थियों को परीक्षा से निकाल दिया जायेगा।
8. जो परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अवैध उपायों का अवलम्बन करते हुए पाये जाते समय अथवा उसका संदेह होने पर पास के किसी कागजी सबूत को फाड़कर, निगलकर या अन्य किसी प्रकार से नष्ट करने की चेष्टा करते हुए पाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उस समय की परीक्षा से सम्बन्धित अवैध कागज उनके पास थे और तदनुसार उन्हें दण्डित किया जायेगा।
9. उत्तर लिखना प्रारम्भ करने के पहले प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये अपनी उत्तर–पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अपना केन्द्र और नामांक तथा पंजीयन संख्या लिखना अनिवार्य है। परन्तु परीक्षार्थी को अपना अथवा अपने कॉलेज का नाम कदापि नहीं लिखना चाहिए। परीक्षार्थी को चेतावनी दी जाती है कि जिस उत्तर–पुस्तिका पर केन्द्र, नामांक और पंजियन–संख्या स्पष्ट रूप से लिखा न होगा उसे जाँच नहीं किया जायेगा।
10. जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका की पहचान को असम्भव या दुसाध्य बनाने की चेष्टा करेगा वह परीक्षा से हटा दिया जा सकता है।
11. यदि कोई परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका में कोई आपत्तिजनक या अनुचित बात लिखने का अपराधी पाया जायेगा तो उसका नाम विश्वविद्यालय में उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जायेगा।
12. प्रश्न–पत्र या सोख्ते पर कोई उत्तर या कोई दूसरी बात लिखना वर्जित है।
13. परीक्षा–कक्ष से प्रश्न–पत्र और अपने प्रवेश–पत्र के सिवाय कागज–पत्र बाहर ले जाना परीक्षार्थियों के लिये वर्जित है।
14. परीक्षा–कक्ष के प्रधान निरीक्षक के आदेश पर परीक्षार्थी के लिए अपेक्षित स्थानों पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
15. परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे उत्तर–पुस्तिका के दोनों पृष्ठों पर लिखें यदि वे चाहें तो आरम्भ या अन्त में एक दो पृष्ठ पर (Rough Work) के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु उत्तर–पुस्तिका को सौंपने के पहले उन पृष्ठों की लिखावट को काट कर इन्हें मोड़ देना चाहिए।
16. प्रश्न–पत्र बंटने के बाद एक घंटे तक किसी परीक्षार्थी को अपनी पुस्तिका वापस नहीं करने दी जायेगी।
17. प्रधान–निरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा समाप्ति के पहले न तो कोई अपनी सीट ही छोड़ेगा और न परीक्षा कक्ष से बाहर ही जायेगा।
18. परीक्षा–कक्ष से एक बार बाहर हो जाने पर परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति तक कक्ष में पुनः आने नहीं दिया जायेगा। पर अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ने पर परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक की अनुमति से थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है। किन्तु वह जब तक बाहर है उसकी निगरानी के लिए कक्ष–निरीक्षक द्वारा एक विश्वस्त व्यक्ति तैनात रहेगा। परन्तु परीक्षा आरम्भ होने के एक घंटा के भीतर किसी परीक्षार्थी को अल्पकाल के लिए भी बाहर जाने नहीं दिया जायेगा। पर यदि जाना आवश्यक हो तो निगरानी की पूरी व्यवस्था पर केन्द्र व्यवस्थापक जाने दे सकता है।
19. यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष–निरीक्षक से पूछना चाहता हो तो उसे अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा रहना चाहिए और कक्ष–निरीक्षक के वहाँ पहुँचने तक खड़ा रहना चाहिए। किसी भी दशा में उसे न तो अपना स्थान ही छोड़ना होगा और न निरीक्षक का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किसी प्रकार का शोर ही मचाना होगा।
20. परीक्षार्थी के मित्रों या अभिभावकों को पहले दिन छोड़कर और किसी दिन परीक्षा कक्ष या भवन निकटवर्ती भागों में भी नहीं जाने दिया जायेगा। पहले दिन भी परीक्षा आरम्भ होने से आधा घंटा पहले अपने स्थानों से हट जाना पड़ेगा। दूसरे किसी दिन या पहले ही दिन दोपहर से भी परीक्षा–कक्ष और भवनों में परीक्षार्थियों के सिवा अन्य व्यक्तियों का जाना सर्वदा वर्जित है।
21. प्रश्न–पत्र बंटने के ठीक पाँच मिनट पहले घंटी बजायी जायेगी जो इस बात की चेतावनी होगी कि सभी परीक्षार्थी अपने स्थानों पर बैठ जाएँ। चेतावनी की इस घंटी के बाद आहते के भीतर परीक्षा भवन या उसके निकटवर्ती स्थानों पर पाया जाने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति अनाधिकार प्रवेश का दोषी समझा जायेगा और उसे बाहर निकाल दिया जायेगा।
22. कलम, नीब, पेन्सील तथा गणित के उपकरणों (गैथेमेटिकल इन्स्ट्रूमेन्टस) परीक्षार्थी स्वयं लाएँगे। फाउन्टेन पेन से भी लिखना वर्जित नहीं है, परन्तु सारी परीक्षा में आदि से अन्त तक उसमें एक ही प्रकार की रोशनाई का व्यवहार होना चाहिए। साधारण व्यवहार में आने वाले गणित के या अन्य प्रकार के उपकरणों के प्रयोग की आवश्यकता होने पर अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक परीक्षार्थी को ऐसे उपकरणों को स्वयं ले आना होगा। दूसरे परीक्षार्थी के उपकरणों का व्यवहार वर्जित है। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय की ओर से अलग टेबुल तथा ग्राफ कागज दिये जायेंगे। अपना ग्राफ कागज व्यवहार करना मना है।
23. इन नियम में जो बातें न आ सकी हों उनके संबंध में केन्द्र व्यवस्थापक आवश्यतानुसार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथोचित आदेश दें और उसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दें।
24. परीक्षा बहिष्कार करने पर या सामूहिक कदाचार करने पर पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।
25. वीक्षक या केन्द्राधीक्षक को डराने–धमकाने अथवा प्रताड़ित करने पर 2 से 5 वर्षों तक विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

कॉलेजिएट / नन–कॉलेजिएट / स्वतंत्र

राँची विश्वविद्यालय, राँची

वर्ष .....

एम0 ए0 भाग ½

कॉलेज .....

प्रवेश पत्र

नीचे का विवरण परीक्षार्थी भरें :–

फोटो (Photo)

हर एक परीक्षार्थी को हाल ही में ली हुई अपनी फोटो की पासपोर्ट साइज की दो प्रतियाँ देनी होगी। उनके ऊपर परीक्षार्थी का नाम लिखा होना चाहिए और उसे प्रेषक अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय की मुहर के साथ प्रमाणित होना चाहिये। एक फोटो प्रवेश–पत्र पर और दूसरी इसी चौकोर स्थान में चिपकायी जानी चाहिए।

1. पंजीयन संख्या ..... वर्ष ..... राँची विश्वविद्यालय
2. हिन्दी अक्षरों में नाम .....
   रोमन (छापे के) अक्षरों में नाम .....
3. जन्म तिथि ..... जाति .....
4. पिता का नाम .....
5. परीक्षा का विषय :
   (क) .....
   (ख) ऐच्छिक विषयों के नाम यदि हो .....

प्रेषक–अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित किसी व्यक्ति के सामने ही हस्ताक्षर होना चाहिए।

परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर

(नीचे के विवरण विश्वविद्यालय में भरे जायेंगे)

इस परीक्षार्थी का केन्द्र ..... नामांकन ..... है। इन्हें तिथि ..... से आयोजित ..... मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा में सम्मिलित होने दें।

परीक्षा विभाग का सहायक

परीक्षा संचालक

---

1. कार्यालय में परीक्षाफल प्रकाशित होते ही परीक्षार्थी को उसके परीक्षाफल की सूचना तार या डाक द्वारा भेजी जा सकती है यदि इसके लिए पहले ही शुल्क जमा कर दिया जाय। तार का शुल्क 5 रू0 और डाक द्वारा सूचना शुल्क 1 रू0 है।
2. इस प्रवेश पत्र के खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने पर इसकी प्रतिलिपि (Duplicate) प्राप्त करने के लिए प्राचार्य (Principal) के द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा संचालक के पास आवेदन पत्र भेजना चाहिए।
3. परीक्षाफल प्रकाशन के साधारणतः दस दिनों के भीतर ही अंक–पत्र (Marksheet) कॉलेज में भेज दिए जाते हैं, परीक्षार्थी उन्हें वहाँ से ले लें, क्योंकि विश्वविद्यालय के कार्यालय से परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि के बाद एक महीने तक अंक–पत्र नहीं दिया जायेगा। इस अवधि के बाद विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क देकर अंक–पत्र लिया जा सकता है। विषयानुसार (Subjectwise) अंक–पत्र का शुल्क 15 / – रु0 है।
4. परीक्षार्थी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र (Certificate) तैयार होते ही कॉलेज में भेज दिया जाता है। इस बीच में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षार्थी एक स्वाथी प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) ले सकते हैं। इसके लिए प्राचार्य के द्वारा 100 / – रु0 शुल्क के साथ परीक्षा संचालक के पास आवेदन–पत्र भेजना चाहिए।